

12/5 प्राचीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची की तलवी प्राप्त नहीं। 11 की अधि आगामी पेशी तक बगई जाती है। पत्रावली वारंते तलवी इतजार दिनांक 11/6/25 को पेश हो।

11/06/25 प्राचीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची संख्या 1 की तलवी भूलवाद में हो चुकी है। अप्राची संख्या 1 उपस्थित नहीं। अप्राची सं. 1 को संक-2 कर उबार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्राची सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राचीगण का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निर्धारण दिनांक 26/03/2025 भूलवाद के निर्णय तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कम होकर भूलवाद के साथ संलग्न हो।



अध्यक्ष  
महानगर अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)